संख्या: 23/2015/1474/पैंतीस-2-2015-3/39(36)/13

प्रेषक,

जे0बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 18 दिसम्बर, 2015**

विषय- **तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकी प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 के लिए धनराशि की मांग।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: 933/ले0-33/2011, दिनांक 20.10.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु धनराशि रू0 1,97,50,000/- की मांग विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

2- आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त नियोजन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या: 1474/पैतीस-2-2015, दिनांक 20.11.2015 द्वारा अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन-05-तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकी प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 1,97,50,000/- की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	मानक मद	धनराशि (रूपये में)
1	04-यात्रा व्यय	20,00,000/-
2	07-मानदेय	1,00,00,000/-
3	08-कार्यालय व्यय	15,00,000/-
4	11-लेखन सामग्री	5,00,000/-
5	15-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण/पेटोल की खरीद	10,00,000/-
6	16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	7,50,000/-
7	18-प्रकाशन	10,00,000/-
8	44-प्रशिक्षण एवं यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	30,00,000/-
	योग	**1,97,50,000/-**

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकी प्रणाली मे सुधार हेतु अनुदान के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के मध्य प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त कुल धनराशि रू0 28.00 करोड के सापेक्ष रू0 25,26,69,445/- व्यय होने के उपरान्त अवशेष बची धनराशि रू0 2,73,30,555/- में से रू0 1,97,50,000/- का व्यय योजनान्तर्गत अवशेष देनदारियों को निस्तारित किये जाने हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त उपर्युक्तानुसार मानक मदों में कुल धनराशि रू0 1,97,50,000/- (रू0 एक करोड़ सन्तानबे लाख पचास हजार मात्र) को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में उल्लिखित शर्तें एवं प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की गई है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) अन्य किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

7- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार की तेरहवें वित्त आयोग की अनुमोदित मदों/गाइडलाइन्स के अनुरूप किया जाय।

9- बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 का अनुपालन स्वीकृत किया जाय तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10- इस संबंध में होनेवाला व्यय वित्तीय वर्ष् 2015-16 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन-05-तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकी प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान के अन्तर्गत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(जे0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 23/2015/1474(1)/पैतीस-2-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।